कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा व पंचायती राज(प्राशि)राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/नियु.–प्रको./नियु–2/982/टीजीटी–2016/ले–2/2016–17 दिनांक :– 03/06/19

कार्यालय आदेश

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय अंग्रेजी गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 11–09–2017 के क्रम में ऑन लाईन आवेदन पत्रों से संबंधित डाटा में अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 30–08–2017 एवं विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञापित पदो की सीमा तक नियमानुसार अभ्यर्थियों का चयन कर दिनांक 25–01–2018 को वर्गवार अन्तिम कट ऑफ मार्क्स एवं चयन सूचियां जारी की गई थी। पंचायती राज नियम 266(3) के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताओं के साथ–साथ स्नातक मे अंग्रेजी वैकल्पिक विषय अनिवार्य है, दस्तावेज सत्यापन के समय जिन अभ्यर्थियों के स्नातक के तीनो वर्षो मे अंग्रेजी वैकल्पिक विषय नही रहा उनको अपात्र किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 13707/2018 मे पारित आदेश दिनांक 12.10.2018 एवं अन्य समान विषयक विभिन्न याचिकाओं मे ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्नातक के तीनो वर्षो मे अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप मे उत्तीर्ण है उनको तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर नियुक्तियां दिये जाने के निर्देश दिये गये है माननीय एकल पीठ के निर्णय के विरूद्व दायर डीबी स्पेशल अपील संख्या 1943/2018 राज्य सरकार बनाम कोमल पुरोहित व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 18.12.2018 मे माननीय खण्डपीठ द्वारा राज्य सरकार की अपील को खारिज किया गया तथा राज्य सरकार के पत्रांक पं. (26)प्राशि/2019 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2018 के विरूद्व आगे एसएलपी दायर नही करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया। उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पदों पर मुख्य चयन सूची दिनांक 25.01.2018 के चयनित अभ्यर्थियों मे से दस्तावेज सत्यापन मे अनुपस्थित एवं अपात्र अभ्यर्थियों के नाम मुख्य डाटा मे से हटाते हुए चयन रिशफल कर दिनांक 20.08.2018 एवं 21.08.2018 को वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों की नामवार चयन आदेश एवं अंतिम कट–ऑफ मार्क्स जारी किये गये माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 13707/2018 एवं अन्य कनेक्टेड याचिकाओं मे पारित निर्णयो के कम मे विभिन्न याचिकार्थिओं के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के परीक्षणोपरान्त दिनांक 20.08.2018 एवं 21.08.2018 को जारी वर्गवार अंतिम कट–ऑफ मार्क्स के अनुसार संबंधित वर्ग मे कट–ऑफ मार्क्स के समान/अधिक अंक वाले याचिकार्थियों का उक्त शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र मे अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के विज्ञापित पदों के विरूद्व निम्नानुसार चयनित किया जाकर जिला आवंटित किये गये। जिला आवंटन के संबंध मे अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं का परीक्षण किया गया व परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा जिला आवंटन के संबंध मे प्रस्तुत परिवेदनाओं को स्वीकार किया जाकर इनके मेरिट, चयन वर्ग तथा जिलों मे वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार एवं अभ्यर्थियों के वर्ग अनुसार दिनांक 26.05.2019 को आवंटित जिलो मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

S.N	OLD Merit No.	NEW Merit No	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	SELECTION CATEGORY			25-01-2018 Alloted District	District Alloted As on 26-05-2019	Revised Alloted District
1	3032	2720-A	201700960412	Roshan Yadav	Jawahar Lal	15-01-1984	F	OBC	OBC	M		Barmer	Barmer	Bhilwara
2	2228	1852-A	201700976594	ANITA KUMARI	PREM CHAND	15-03-1986	F	GEN	GEN	F		Bhilwara	Tonk	Alwar
3	2444	2046-A	201700913609	MAHENDRA	RAM KUMAR	2-11-1983	M	OBC	GEN	M		Bundi	ALWAR	Dausa

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा व पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा, बुन्दी एवं बाडमेर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियो का विभाग द्वारा दिनांक 25.01.2018 को जारी मुख्य चयन सूची मे आवंटित जिले मे चयन होने के कारण अंगेजी के तीनो वर्षो मे अंग्रेजी वैकल्पिक विषय नही होने के कारण उनको अपात्र कर दिया गया अतः उक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज नये आवंटित जिला परिषद को भिजवाना सुनिश्चित करावे।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा, अलवर एवं दौसा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थी के दस्तावेज संबंधित जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही संपादित करावे।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) भीलवाडा, अलवर एवं दौसा को प्रति प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है नियमानुसार आगामी कार्यवाही संपादित करावे।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर/जोधपुर।
9. संबंधित अभ्यर्थी।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा व पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर।